Local Government
OMBUDSMAN

परिषद से शिकायत की?
फिर भी संतुष्ट नहीं हैं?

स्थानीय सरकार लोकपाल [Local Government Ombudsman] परिषदों तथा कुछ अन्य प्राधिकरणों के बारे में शिकायतें देखता है। यह एक मुफ्त सेवा है। हमारा काम शिकायतों की निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच करना है – हम पक्षपात नहीं करते।

यदि आपको किसी परिषद की सेवा से समस्या है, तो पहले आपको परिषद से शिकायत करनी चाहिए। लेकिन यदि फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो हम आपकी सहायता करने में सक्षम हो सकेंगे। हमारी सलाह टीम [Advice Team] को 0845 602 1983 पर फोन करें।

टेलीफोन पर भाषांतरण सेवा उपलब्ध है – यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हों, तो कृपया सलाहकार को बताएं। दुभाषिए के माध्यम से, सलाहकार आपकी बात सुनेगा और बताएगा कि क्या हम आपकी शिकायत पर विचार कर सकते हैं। यदि हम कर सकते हैं, तो सलाहकार ब्यौरे लेगा, हमारी भूमिका को स्पष्ट करेगा और आपको बताएगा कि उसके बाद क्या होगा।

हम क्या कर सकते हैं

हम अधिकांश परिषद सेवाओं के बारे में शिकायतें देख सकते हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आवास
- आयोजना
- शिक्षा
- सामाजिक परिचर्या
- आवासीय हितलाभ
- परिषद कर
- असामाजिक व्यवहार
- पर्यावरण और बर्बादी

यदि हम पाएंगे कि परिषद ने कुछ गलत किया है, तो हम उसे ठीक कराने के लिए प्रयास करेंगे।

हम क्या नहीं कर सकते

परिषद ने जो कुछ किया है उसके बारे में हम सामान्यतया सिर्फ इसलिए प्रश्न नहीं कर सकते क्योंकि आप उससे सहमत नहीं हैं। परिषद की ओर से कुछ भूल जरूर हुई होनी चाहिए। इसके अलावा, हम ऐसी शिकायतों की जांच नहीं करेंगे, यदि उसे देखने के लिए अधिक उपयुक्त निकाय मौजूद है।